न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. किशोर कुमार भाण्ड पुत्र लक्ष्मण राम भाण्ड, जाति- भाण्ड,
   निवासी- वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
   (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्मः- श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी, झाकर चौराहा,- न्यू पॉवर हाउस के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

2. दिलीप भाई शावजी भाई वडादरिया
   निवासी- 07 नोडल रेजिडेन्सी, थलतज, अहमदाबाद, गुजरात
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर एवं निर्माता)

फर्मः- Savatta Food Products, Gala No 2, Prithvi Industrial Estate, Nani, Ringawada, Daman, Daman Rural, Daman (Daman&diu) - 396210

प्रकरण संख्याः 01/2020

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी किशोर कुमार भाण्ड एवं दिलीप भाई शावजी भाई वडादरिया

-: निर्णय :- दिनांक [illegible] फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.2.2019 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी, झाकर चौराहा, न्यू पॉवर हाउस के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता से परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति किशोर कुमार भाण्ड पुत्र श्री लक्ष्मण राम भाण्ड, निवासी- वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही है एवं उक्त फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) का बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान की फर्श पर रखे गत्ते के डिब्बों में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के 30x500 ml

शेष पेज दो पर

पैकड कंटेनरों में से खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के 4x500ml पैकड कंटेनर खरीद एवं उसकी कीमत राशि रुपये 680/- नकद अदा कर ख़रीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक S-891 दिनांक स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं मैंने स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक ... चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर ... सील किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान ... हस्ताक्षर कराये ... अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की ... प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की ... लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, ... प्रत्येक भाग में बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 का दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई ...

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.2.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफाफा श्री दौलतराम, साइकिएट्रिक के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 13.2.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-891 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड एवं निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असन्तुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन ... 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, जिस पर किशोर कुमार भाण्ड द्वारा पुनः ... तीन पर

जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के द्वितीय नमूने भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर को जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण में निदेशक, रेफरल लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूना संख्या S-891 अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकरण में संबंधित पत्रावली [illegible] अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी सुकुन [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा [illegible] उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण [illegible] सुनवाई तिथि 19.2.2020 को प्रतिवादीगण किशोर कुमार भाण्ड [illegible] बड़ादगिया इस न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुये एवं [illegible] प्रस्तुत किये। प्रतिवादी किशोर कुमार भाण्ड की ओर से प्रस्तुत [illegible] किया गया है कि दिनांक 12.2.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो घी सुकुन ब्राण्ड का नमूना जांच के लिये लिया था व मैंने बिल द्वारा Savatta Food Products, Daman से विक्री हेतु प्राप्त किया था। पैकिंग अवस्था में ही मैंने नमूना बेचा है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे। प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 12.2.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो सुकुन घी का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार Sub-standard पाया गया है। वह हमारी फर्म द्वारा निर्मित है। हम अपने उत्पाद को लेब से टेस्ट कराने के बाद ही मार्केट में विक्री के लिये जारी करते है। किसी मानवीय भूल की वजह से यह गलती हो गई है। भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा कि ऐसा दुबारा नहीं होगा। अतः मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार [illegible] दिनांक 19.2.2020 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को सुनाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णय आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने अमानक

...पेज चार पर

खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा [illegible] अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, [illegible] अधिनियम की धारा [illegible] के तहत जुर्माने योग्य अपराध [illegible] के परिवादीगण [illegible] आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने उनके द्वारा प्रस्तुत [illegible] तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.[illegible].2019 को 5.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी, झांकर [illegible], न्यु पॉवर हाउस के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी में मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से [illegible] कुमार भाण्ड पुत्र लक्ष्मण राम भाण्ड, जाति- भाण्ड, निवासी- बीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के [illegible] के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के असुरक्षित होने की शंका होने पर खाद्य [illegible] एवं [illegible] अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए उसका [illegible] कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड को भरत सुथार पुत्र श्री शंकरलाल [illegible] अकोली, तहसील- जालोर जिला- जालोर के समक्ष प्रपत्र संख्या [illegible] दुकान के फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ घी के 30 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 ml) में से खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड कंटेनर (प्रत्येक 500 ml) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 680/- (अक्षरे रुपये छः सौ अस्सी मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड को अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-891, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना [illegible] आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ [illegible] कंटेनरों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना [illegible] अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-891 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड व उक्त गवाह

...पेज पांच पर

के नियमानुसार [illegible] और [illegible] खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] तत्पश्चात उक्त चारों नमूना भागों के [illegible] वेदक खाद्य [illegible] कब्जे/ज्ञापन में लिया व मौके पर मौक़ा [illegible] तैयार [illegible] कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड व [illegible] के हस्ताक्षर किये हुए हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] के साथ [illegible] फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का [illegible] आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी, झाकर चौराया, न्यू पॉवर हाउस के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाड़ा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता किशोर कुमार भाण्ड से खाद्य पदार्थ घी (सुकुन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ [illegible] (सुकुन ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पहुंचकर फार्म [illegible] 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने का सील्ड करते समय फार्म [illegible] की छाप अंकित की तथा नमूने के चारों [illegible] लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को [illegible] धागे में बांधकर नियमानुसार सील चपड़ा किया। साथ ही, [illegible] प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को [illegible] तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक [illegible].2019 को [illegible] नम्बर 6 को [illegible] बन्द लिफाफा [illegible] दौलतराम [illegible] के द्वारा खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के [illegible] बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 13.2.2019 को [illegible] जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य [illegible] (सुकुन ब्राण्ड) को नमूना संख्या S-891 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] जांच रिपोर्ट क्रमांक: [illegible] S 04 Act 2019/147 दिनांक 26.2.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी, झाकर चौराया [illegible] के पास, सिरोही रोड, पिण्डवाड़ा, जिला- सिरोही [illegible] खाद्य कारोबार[illegible] से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य [illegible] (सुकुन [illegible]) [illegible] Sub-standard पाया गया [illegible]

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:[illegible]/2019/3052-55 दिनांक 01.4.2019 से प्रतिवादी संख्या-1 (किशोर कुमार भाण्ड) व निर्माता फर्म Sawatta Food Products को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन 30 दिन के [illegible] करने हेतु सूचित किया गया। जिस पर प्रतिवादी किशोर कुमार भाण्ड द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही [illegible] अपील आवेदन [illegible] पर अभिहित

.....पेज छः पर

अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] घी (मुकुन ब्राण्ड) नमूना संख्या S-891 [illegible] फूड [illegible], मसूर को भिजवाया गया। प्रकरण [illegible] निदेशक, [illegible], मसूर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (मुकुन ब्राण्ड) नमूना संख्या S-891 का प्रेषित Certificate of analysis No:207F/FSSA/2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (मुकुन ब्राण्ड) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है।

प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ (घी) की निर्माता फर्म Sawatta Food Products, Gala No.2, Prithvi Industrial Estate, Nani, Ringawada, Daman, Daman Rural, Daman (Daman&diu) - 396210 [illegible] यह स्पष्ट है कि निर्माता फर्म Sawatta Food Products Gala No.2 Prithvi Industrial Estate, Nani, Ringawada, Daman, [illegible] Daman (Daman&diu) - 396210 ने अमानक [illegible] पदार्थ [illegible] पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं [illegible] अधिनियम [illegible] योग्य अपराध है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) [illegible] ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु निर्माता फर्म Sawatta Food Products, Gala No.2, Prithvi Industrial Estate, Nani, Ringawada, Daman, Daman Rural, Daman (Daman&diu) - 396210 ही दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा [illegible] के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- [illegible] के तहत खाद्य पदार्थ घी (मुकुन ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Sawatta Food Products Gala No.2 Prithvi Industrial Estate, Nani, Ringawada, Daman, Daman Rural, Daman (Daman&diu) - 396210 पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता [illegible] Food Products, Gala No.2, Prithvi Industrial Estate, [illegible] Daman Rural, Daman (Daman&diu) - 396210 के [illegible] शास्त्री भाई बड़ादरिया, निवासी- 07 मॉडल रेजीडेन्सी, थलतेज, अहमदाबाद को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्माता फर्म Sawatta Food Products पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 17:56:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: